राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर ।

दिनांक 12 फरवरी, 1990 को प्रात: 11.00 बजे कृषि विज्ञान केन्द्र, बीछवाल, बीकानेर में आयोजित प्रबन्ध मण्डल की बैठक का कार्यवृत :-

निम्नांकित सदस्य उपस्थित थे :-

1. डा. के. एन. नाग — अध्यक्ष
2. श्री वी. एस. सिंह } श्री एम. एल. मेहता के प्रतिनिधि के रूप में }
3. श्री सी. एस. राजन
4. श्री आचार्य हरेश सी. सावरिया
5. डा. जी. एस. शेखावत
6. श्री राम गोपाल चौधरी
7. डा. ओ. एस. राठौड़
8. डा. एस. एन. सक्सैना
9. डा. एस. एस. आचार्य
10. डा. के. पी. पन्त
11. श्री युसूफ अली
12. श्री राजन सुदेशन
13. श्री खुशहाल सिंह — सदस्य सचिव

आमंत्रित सदस्य:-

1. श्री बी. एस. उज्वल
2. डा. जे. एस. भाटिया
3. श्री के. एस. माथुर
4. श्री एस. पी. पुरोहित

डा. आर. एस. परोदा, श्री हनुमान प्रसाद, व शिक्षा सचिव द्वारा बैठक में भाग लेने में असमर्थता व्यकत की गई । श्री बी. डी. कल्ला व श्री बी. बी. लाल बैठक में भाग लेने में असमर्थ रहे ।

बैठक के प्रारम्भ में नये मनोनीत सदस्यों सर्व श्री आचार्य हरेश सी. सांवरिया, डा. जी. एस. शेखावत, व पुन: मनोनीत सदस्य श्री रामगोपाल चौधरी का कुलपति ने स्वागत किया व आशा व्यक्त की कि विश्वविद्यालय के सर्वांगीण विकास में सबका योगदान सदैव मिलता रहेगा ।

साथ ही बोर्ड के माननीय सदस्यों श्री के. एम. मेहता, डा. शिवनाथ सिंह कपूर व डा. पी. डी. शर्मा के मनोनयन की अवधि में सहयोग की सराहना की व उनके द्वारा दिये गये योगदान के प्रति आभार व्यक्त किया ।

राकृवि/प्रबो-15/ 90-1/199 प्रबन्ध बोर्ड की गत बैठक दिनांक 4 दिसम्बर, 1989 के कार्यवृत की पुष्टि पर विचार किया गया ।

निर्णय लिया गया कि कार्यवृत की पुष्टि की जाय ।

.....2.

राकृवि/प्रबो-15/ 90-1/200

गत बैठक 4.12.89 के कार्यवृत की क्रियान्विति पर विचार किया गया ।

निर्णय लिया गया कि कार्यवृत की क्रियान्विति को निम्न टिप्पणी के साथ आलोकित किया जाय ।

अ) मद संख्या राकृवि/प्रबो-14/89-7/184 के अंतर्गत डा. गोपाल कृष्ण जिनका आचार्य पशु पोषण(न्यूट्रेशन) के पद पर चयन किया गया था के संबंध में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से जानकारी क्रमांक एडीएम/एफ-47 90/2256 दिनांक 2.2.90 के द्वारा प्राप्त हो गई है जिसके अनुसार इनके विरुद्ध कोई जांच नहीं चल रही है । बोर्ड ने आश्वस्त होने पर निर्णय लिया कि अब नियुक्ति के आदेश प्रसारित किये जाये ।

राकृवि/प्राबे-15/ 90-1/201

कुलपति द्वारा प्रसारित विभिन्न ओदशों के प्रतिवेदन पर विचार किया गया ।

श्री वी.एस. सिंह, विशिष्ट सचिव(कृषि) जो कि कृषि उत्पादन सचिव के प्रतिनिधी के रूप में बैठक में भाग ले रहे थे ने चाहा कि मार्च 1990 तक किसी भी प्रकार की नियुक्तियां नहीं की जाय क्योंकि राज्य सरकार विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित अधिनियम में संशोधनों हेतु शीघ्र ही अध्यादेश जारी कर रही है और इस संबंध में एक पत्र विश्वविद्यालय को भेजा गया है । उन्होंने बताया कि तदर्थ नियुक्तियों से कई कानूनी पेचीदगियां उत्पन्न होती है तथा इसमें वित्त विभाग ने भी कुछ आपतियां की है । कुलपति ने सदन को बताया कि उन्हें एक रजिस्टर्ड पत्र जिसका उल्लेख श्री सिंह ने किया है प्राप्त हुआ है जिसमें राज्य सरकार ने निर्देश दिये हैं कि सभी नियुक्तियां (तदर्थ/अस्थाई/स्थाई) पर रोक लगाई जाय । कुलपति ने बताया कि इस संबंध में वह कृषि उत्पादन सचिव से मंत्रणा करना चाहते थे क्योंकि इस संबंध में महामहिम कुलाधिपति के अधिकारों का प्रश्न भी आता है परन्तु क्योंकि श्री सिंह ने इस संबंध में उल्लेख कर ही दिया है तब उन्हें यह बताना आवश्यक हो गया था । कुलपति ने स्पष्ट किया कि अगर वित्त विभाग को कुछ कानूनी आपतियां है तो इस विश्वविद्यालय की ही नहीं परन्तु अन्य विश्वविद्यालय से भी संबंधित है अतः इस विश्वविद्यालय को ही इंगित होना न्याय संगत नहीं है और फिर इस पर एक तरह से विश्वविद्यालय की स्वायत्ता पर भी अंकुश लगाने की संज्ञा उत्पन्न होती है ।

प्रबन्ध बोर्ड के अन्य सदस्यों ने इस पर काफी रोषपूर्ण विचार प्रकट किये और कहा कि इससे विश्वविद्यालय की स्वायत्ता

......3.

पर तो प्रभाव पड़ता ही है परन्तु विश्वविद्यालय के हितों में यह कदम प्रतिकूल प्रभाव लाने वाला है क्योंकि आठवी योजना प्रारम्भ हो रही है व भारतीय कृषि अनुसंधान परषिद् व अन्य संस्थाओं से आने वाले संचालित कार्यक्रमों पर इसका प्रभाग पड़ेगा । कुलपति ने यह भी बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा एक प्रजातांत्रिक पद्वति को ध्यान में रखते हुए जो अधिनियम में संशोधनों के प्रस्ताव 19-20 माह पूर्व महामहिम कुलाधिपति को प्रस्तुत किये और जिन पर राज्य सरकार की टिप्पणी चाही गई है में राज्य सरकार ने काफी समय लगा दिया है । इस पर समय-समय पर विचार हुए है परन्तु संशोधनों के सिलसिले में कोई प्रगति नहीं हुई है । सदस्यों का यह भी मत था की यह कार्य मार्च 1990 तक पूरा हो सकेगा या नहीं इस संबंध में भी शंका है क्योंकि नई विधान सभा के पास अपनी प्राथमिकता के बेअन्त मसले होंगे ।

श्री वी. एस. सिंह, विशिष्ट सचिव व श्री सी. एस. राजन, निदेशक कृषि ने सुझाव दिया कि संदर्भित पत्र पर पुनः विचार हेतु राज्य सरकार को लिखा जाय । उनके द्वारा यह भी कहा गया कि वे स्वंय भी इस संदर्भ में कार्यवाही करेंगे क्योंकि नियुक्तियाँ नहीं होने की सूरत में दिन प्रतिदिन आने वाली कठिनाइयां बढ़ेंगी व हो सकता है कि कुछ कार्यक्रम चलाने के लिए विश्वविद्यालय के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं रहे जाय । ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को इस पहलू पर गहनता से विचार करना होगा ।

प्रबन्ध बोर्ड ने इस पर सुझाव दिया कि राज्य सरकार को इस पत्र के संदर्भ में पुनः विचार कर पत्र को वापिस लेना चाहिये । बोर्ड द्वारा यह भी तय किया गया कि तदर्थ/अस्थाई/स्थाई (शैक्षणिक/अशैक्षणिक) पदों पर नियमित चयन समितियों के माध्यम से नियुक्तियाँ की जाती रहे ।

राकृवि/प्राबे-15/ 90-1/202 — प्रो. वाई. वी. हुप्रीकर, अधिष्ठाता, अभियांत्रिकी एवं प्रोधोगिकीय महाविद्यालय, उदयपुर को रू. 12,287.50 का चिकित्सा पुनर्भरण/परिस्थितियों में करने हेतु विचार किया गया ।

/विशेष

निर्णय लिया गया कि विशेष परिस्थितियों में चिकित्सा पुनर्भरण के रूप में रू. 12,287.50 स्वीकृत किये गये । तथा यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में यह उदाहरण नहीं माना जाये ।